HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5210/2026

Vinaykant S/o Premkant Adopted Son Janradan, Aged About 46 Years, R/o Ward No. 12, Town Singhana, Police Station Singhana, District Jhunjhunu, Rajasthan. (At Present Lodge At Sub Jail Khetri, District Jhunjhunu (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudhir Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat Mr. Omveer Singh Saini

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)
Order

12/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनु में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 25.03.2026 से अभिरक्षा में है। उनका तर्क है कि झाबरमल ने वादग्रस्त भूखण्ड का आवासीय पट्टा दिनांक 07.06.2022 को ग्राम पंचायत सिंघाना से लिया था जिसका पंजीयन दिनांक 22.11.2022 को होने के संबंध में उप पंजीयक सिंघाना, जिला झुन्झुनू का दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है । सन् 2022 में झाबरमल द्वारा क्रय किए जाने के तीन साल बाद प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 24.11.2025 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम

से वादग्रस्त भूखण्ड झाबरमल से क्रय किया था । प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त भूखण्ड क्रय करने के लिए झाबरमल को राशि अदा की है। प्रार्थी/अभियुक्त सद्भाविक क्रेता है । वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में झाबरमल व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2025 को गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को जनार्धन व श्रीमती सुशीला का दत्तक पुत्र नहीं होने की घोषणात्मक निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश खेतडी, जिला झुंझुनू में दर्ज करवाया गया था जो दीवानी वाद संख्या 06/2013, जनार्धन वगैरह बनाम विनयकान्त वगैरह है । उक्त वाद का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2022 को निर्णय करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जनार्धन व श्रीमती सुशीला का दत्तक पुत्र नहीं माना है । विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2022 की कोई अपील प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नहीं की गई है अतः उक्त आदेश अंतिम हो चुका है । प्रार्थी/अभियुक्त उक्त भूखण्ड का सद्भावी क्रेता है । परिवादीगण ने एक वाद विद्वान न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू में वादग्रस्त भूखण्ड का मालिक घोषित किए जाने व झाबरमल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में पंजीकृत कराये गए विक्रय विलेख दिनांक 24.11.2025 को निरस्त किए जाने के संबंध में प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण सिविल प्रकृति का है । प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूखण्ड परिवादीगण की पुश्तैनी संपत्ति थी इस संबंध में ठिकाना द्वारा उनको वादग्रस्त संपत्ति का पट्टा जारी किया गया है । उक्त संपत्ति श्रीमती सुशीला व उसके पति जनार्धन को केयर टेकर के रूप में संभला रखी थी। श्रीमती सुशीला द्वारा सूचना देने पर कि

प्राथी/अभियुक्त ने वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा कर लिया है, परिवादी की ओर से घटना की रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गई थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने झाबरमल का पट्टा फर्जी बनाया है । अतः प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में झाबरमल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में किए गए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.11.2025 को प्रभावहीन व शून्य घोषित किए जाने हेतु विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू के समक्ष दीवानी वाद लंबित है, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व के बिन्दु को गुणावगुण पर संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा ही अवधारित किया जाना है । विद्वान अपर जिला न्यायाधीश खेतड़ी, जिला झुन्झुनू में वाद संख्या 06/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को जनार्दन व श्रीमती सुशीला का दत्तक पुत्र होना नहीं माना है । झाबरमल द्वारा वादग्रस्त संपत्ति का आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत सिंघाना से दिनांक 06.07.2022 को लिया गया है जो कि अस्तित्व में है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया गया है। झाबरमल से प्रार्थी/अभियुक्त ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.11.2025 को वादग्रस्त संपत्ति क्रय की है, जिसके संबंध में सिविल प्रकृति का वाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.03.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होना बताया गया है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी

किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विनयकान्त पुत्र प्रेमकांत** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक व संबंधित विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

26/RISHIKESH SONI